न्यूज़ टुडे

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत आई.आई.टी. रुड़की में पेटास्केल सुपरकंप्यूटर "परम गंगा" स्थापित किया गया

- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत **"परम गंगा"** नामक एक सुपरकंप्यूटर स्थापित किया गया है। इसकी **सुपरकंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटाफ्लॉप्स** है।
  - इसे NSM के चरण–2 के तहत **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग** (C-DAC) **द्वारा डिजाइन और असेम्बल** किया गया है
- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन:** इस मिशन को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। इस मिशन का संचालन **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** (MeitY) तथा **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग** (DST) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। साथ ही, इसका **क्रियान्वयन** C-DAC **और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु** द्वारा किया जा रहा है।
  - इस मिशन का उद्देश्य देश भर में फैले **हमारे राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को मजबूत बनाना** है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए **70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग** (High-Performance Computing: HPC) **सुविधाओं को परस्पर जोड़ते हुए एक विशाल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड** की स्थापना की जा रही है।
  - इस मिशन के चरण–1 और चरण–2 के तहत C-DAC द्वारा अब तक **11 ऐसी सुविधाएं स्थापित** की जा चुकी हैं। इनकी कुल या संचयी परिकलन क्षमता (Cumulative Compute Power: CCP) 20 पेटाफ्लॉप्स से भी अधिक है।
    - इनमें से कुछ प्रमुख हैं: **परम शिवाय** (IIT-BHU), **परम शक्ति** (IIT-खड़गपुर), **परम ब्रह्म** (IISER, पुणे) आदि।
  - इन सभी सुपरकंप्यूटर्स को नेशनल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड नेटवर्क के माध्यम से **नेशनल नॉलेज नेटवर्क** (NKN) पर भी जोड़ा जाएगा।
  - **इस मिशन के चार प्रमुख स्तंभ हैं**– बुनियादी ढांचा; एप्लीकेशन या अनुप्रयोग; अनुसंधान एवं विकास; तथा मानव संसाधन विकास।
- इस मिशन के तहत बड़े पैमाने पर विकसित किए जा रहे एप्लीकेशन में शामिल हैं:
  - **जीनोमिक्स और दवाओं की खोज** के लिए NSM प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है।
  - **अर्बन मॉडलिंग (कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन) का विकास किया जा रहा है।** इसका उद्देश्य मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, वायु की गुणवत्ता जैसे शहरी पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना है।
  - भारत की नदी घाटियों के लिए **बाढ़ पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान प्रणाली** विकसित की जा रही है।
  - **तेल और गैस की खोज करने** में सहायता के लिए **सिस्मिक इमेजिंग** (भूकंपीय चित्रण) हेतु **उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर सूट** (HPC Software Suite) का विकास किया जा रहा है।

सुपरकंप्यूटर के बारे में

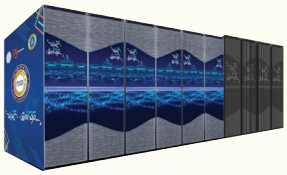

- सुपरकंप्यूटर एक **विशाल प्रणाली** होती है। **इसे विशेष रूप से अत्यंत जटिल वैज्ञानिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन** किया जाता है।
- पारंपरिक कंप्यूटर्स के विपरीत, **सुपरकंप्यूटर्स एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट** (CPU) **का उपयोग** करते हैं।
- सुपरकंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को **फ्लोटिंग–पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकेंड** (FLOPS) में मापा जाता है।
  - **पेटाफ्लॉप्स: यह एक हजार ट्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति** की माप है।
  - **फ्लोटिंग–पॉइंट:** यह "वास्तविक संख्याओं को एन्कोड करने की विधि है।"
- सुपरकंप्यूटर्स में **सबसे तेज लैपटॉप की तुलना में दस लाख गुना से भी अधिक प्रोसेसिंग पावर** हो सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (SGKC) और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया

- **पावरग्रिड** द्वारा **विद्युत मंत्रालय** और **राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन** (NSGM) के सहयोग से स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (SGKC) की स्थापना की गयी है। इसे फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करने और उनमें प्रगति लाने के लिए स्थापित किया गया है।
  - SGKC का लक्ष्य निम्नलिखित हेतु वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता के अग्रणी केंद्रों में से एक बनना है:
    - स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों से संबंधित **नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु,** और
    - विद्युत वितरण क्षेत्रक में क्षमताओं का निर्माण करने हेतु।
  - वर्चुअल SGKC का शुभारंभ, SGKC **के भौतिक सेटअप की डिजिटल उपस्थिति को संभव बनाता है।** इसकी आवश्यकता कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान महसूस की गई थी।
- राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) की स्थापना **वर्ष 2015** में की गई थी। इसका उद्देश्य **भारत में स्मार्ट ग्रिड की स्थापना में तीव्रता** लाना है।
  - **यह स्मार्ट ग्रिड से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन** की योजना बनाने और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **स्मार्ट ग्रिड के बारे में:**
  - यह **ऑटोमेशन, संचार और आई.टी. प्रणालियों पर आधारित एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड है।**
  - यह **उत्पादन से लेकर खपत तक विद्युत के प्रवाह की निगरानी कर सकता है।** साथ ही, यह रियल टाइम या नियर रियल टाइम में विद्युत उत्पादन से मेल खाने के लिए लोड को कम या विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है।
- **स्मार्ट ग्रिड के लाभ:**
  - पारेषण और वितरण (Transmission and Distribution: T&D) संबंधी हानि में कमी,
  - पीक लोड के दौरान प्रबंधन में सहायक,
  - सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक,
  - विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायक,
  - परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में सहायक,
  - नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में सहायक,
  - रियल टाइम आधारित निगरानी में सहायक,
  - विद्युत की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक, आदि।

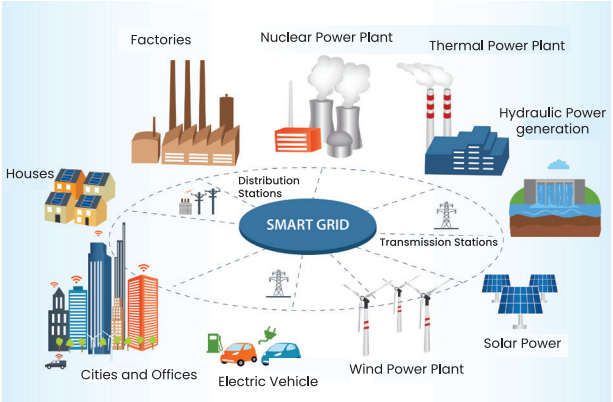

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, वर्ष 2035 तक देखभाल सेवाओं में निवेश से महिलाओं के लिए 23.4 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं

- यह रिपोर्ट **"केयर एट वर्क: इन्वेस्टिंग इन केयर लीव एंड सर्विसेज फॉर ए मोर जेंडर इक्वल वर्ल्ड ऑफ वर्क"** शीर्षक से प्रकाशित की गई है।
- यह रिपोर्ट **देखभाल नीतियों** के संबंध में राष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं का वैश्विक विश्लेषण प्रदान करती है।
  - **देखभाल नीतियों में शामिल हैं**– मातृत्व सुरक्षा; पितृत्व, अभिभावकीय और अन्य देखभाल से संबंधित अवकाश नीतियां; बाल देखभाल; और दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं।
- **देखभाल नीतियों से जुड़े मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:**
  - **सार्वभौमिक बाल देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं में निवेश** करने से वर्ष 2035 तक 29.9 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इनमें से 78% रोजगार महिलाओं के हिस्से में आएंगे।
  - **वर्ष 2035 तक रोजगार सृजन की संभावना वाले क्षेत्र हैं: बाल देखभाल में 9.6 करोड़ प्रत्यक्ष नौकरियाँ,** दीर्घकालिक देखभाल में 13.6 करोड़ प्रत्यक्ष नौकरियाँ और गैर–देखभाल क्षेत्रों में 6.7 करोड़ अप्रत्यक्ष नौकरियाँ।
  - **देखभाल सेवाओं और नीतियों में लगातार और स्थायी अंतराल** बना हुआ है। इसने पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले लाखों श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा और समर्थन से वंचित रखा है।
  - **गरिमा पूर्ण और स्वतंत्र** जीवन से युक्त **स्वस्थ वृद्धावस्था के अधिकार** को सुनिश्चित करने के लिए **दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं** आवश्यक हैं।
  - हालांकि, **मातृत्व अवकाश एक सार्वभौमिक मानव और श्रम अधिकार** है, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जा रहा है।
    - विश्व के 64 देशों में, मातृत्व अवकाश की अवधि अभी भी ILO **के 14 सप्ताह के अनिवार्य मानकों से नीचे** है।
  - **पितृत्व अवकाश पुरुषों के देखभाल अधिकारों और जिम्मेदारियों को सक्षम करने की कुंजी है।** विडम्बना यह है कि लगभग दो–तिहाई सक्षम पिता (1.26 अरब पुरुष) ऐसे देशों में रहते हैं जिनके पास पितृत्व अवकाश का कोई अधिकार नहीं है।

इस रिपोर्ट के मुख्य सुझाव:

- इसके बारे में पर्याप्त ज्ञान, डेटा और जागरूकता का सृजन किया जाना चाहिए।
- **देखभाल नीतियों और सेवाओं** को डिजाइन और उन्हें लागू किया जाये।
- **देखभाल नीतियां और सेवाएं कम लागत वाली** होने चाहिए।
- प्रतिनिधित्व और सामाजिक संवाद को मजबूत करने की जरूरत है।

भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने "बांग्लादेश–भूटान–इंडिया–नेपाल (BBIN) – मोटर वाहन समझौता (MVA)" यानी BBIN-MVA को अंतिम रूप दिया है

- भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने BBIN-MVA को अमल में लाने वाले **एक समझौता ज्ञापन (MoU)** को अंतिम रूप दिया है। ज्ञातव्य है कि BBIN-MVA का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
  - वर्तमान में, **भूटान ने इस समझौते से दूरी बना रखी है।**
- **BBIN-MVA के बारे में:**
  - **वर्ष 2014** में **सार्क** (यानी **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन**) के **काठमांडू शिखर सम्मेलन** में **पाकिस्तान के विरोध** के कारण एक क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौता पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद BBIN-MVA नामक कनेक्टिविटी परियोजना की परिकल्पना की गई थी।
  - यह यात्री, कर्मियों और कार्गो–वाहन यातायात के विनियमन के लिए एक **उप–क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौता** है।
  - यह **भूमि–आधारित अंतर्देशीय सड़क परिवहन की सुविधा को** और मजबूती प्रदान करेगा।
  - **वर्ष 2017 में भूटान,** पर्यावरणीय चिंताओं के कारण अपनी संसद से मंजूरी लेने में विफल हो गया था। इसके बाद वह **अस्थायी रूप से इस परियोजना से बाहर हो गया।**

BBIN-MVA का महत्व	इसे अमल में लाने से जुड़ी चिंताएं
○ यह परियोजना भारत के **पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास** में तेजी लाने में मदद करेगी।	○ यातायात और प्रदूषण संबंधी चिंताओं के कारण **भूटान** इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है।
○ इसके चलते द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का लाभ उठाया जा सकता है। फलतः **निवेश संबंधों को भी बढ़ावा** मिलेगा।	○ विशेष रूप से निर्धारित सीमा चौकियों पर **अवसंरचना की कमी** है।
○ इसके चलते दक्षिण एशिया के भीतर **अंतर–क्षेत्रीय व्यापार** में लगभग 60% और शेष विश्व के साथ व्यापार में 30% से अधिक की **वृद्धि की संभावना** है।	○ विनियमों और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के बीच **सामंजस्य एक बड़ी चुनौती** है। ○ समझौते में शामिल सभी देशों के लिए **एक व्यापक वाहन बीमा पॉलिसी की आवश्यकता** होगी।

एक गैंगस्टर से जुड़े केस ने भविष्य में होने वाले प्रत्यर्पणों पर उच्चतम न्यायालय की चिंता को बढ़ा दिया है

- उच्चतम न्यायालय ने **गैंगस्टर अबू सलेम द्वारा दिए गए तर्क के आधार पर** केंद्रीय गृह सचिव से कहा है कि वह इस मामले में **सरकार का रुख स्पष्ट करे।**
- गैंगस्टर सलेम ने तर्क दिया है कि उसे 25 वर्ष से अधिक के लिए कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि उसके प्रत्यर्पण के समय पुर्तगाल के अधिकारियों को इस संबंध में **कानूनी व संप्रभु आश्वासन** (sovereign assurance) दिया गया था।
  - ज्ञातव्य है कि अबू सलेम को **पुर्तगाल में गिरफ्तार** किया गया था। बाद में उसे **भारत को सौंप या प्रत्यर्पित कर दिया गया था।** उसे वर्ष 1993 के मुंबई सीरियल बम विस्फोट मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
- उच्चतम न्यायालय ने **सरकार को सलाह** दी है कि वह **पूर्व में दिए गए अपने आश्वासनों को पूरा नहीं करने के अंतर्राष्ट्रीय दुष्परिणामों पर भी विचार** करे।
- **भारत में प्रत्यर्पण** (Extradition in India)
  - उच्चतम न्यायालय के अनुसार "प्रत्यर्पण वह प्रक्रिया है जिसके तहत **एक देश किसी दूसरे देश को** वांछित अपराधी या अभियुक्त अथवा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सौंपता है। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि उक्त व्यक्ति का अपराध प्रत्यर्पित किए जाने वाले देश की अदालत में न्याय निर्णयन के योग्य होना चाहिए।"
  - **प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 भारत से किसी दूसरे देश में या दूसरे देश से भारत में** भगोड़े व्यक्ति के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को शासित करता है।
    - इस अधिनियम के तहत, यदि **किसी दूसरे देश के साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि उपलब्ध नहीं है,** तो केंद्र सरकार किसी भी **अन्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन (या अभिसमय)** को एक प्रत्यर्पण संधि के रूप में मान सकती है।
      - बशर्ते कि उस कन्वेन्शन में **उन अपराधों का उल्लेख** हो तथा ऐसे कन्वेन्शन में भारत और संबंधित देश, **दोनों पक्षकार** के रूप में शामिल हों।
  - **विदेश मंत्रालय** सभी प्रत्यर्पण अनुरोधों पर विचार करने वाला **केंद्रीय प्राधिकरण** है।

प्रत्यर्पण से जुड़ी कार्यवाही

- **प्रत्यर्पण की कार्यवाही** प्रत्यर्पण के लिए **अनुरोध प्राप्त होने पर शुरू** की जाती है। यह अनुरोध **निम्नलिखित तरीकों से** प्राप्त होता है:
  - भारत और अनुरोध करने वाले देश के बीच सीधे राजनयिक चैनलों के माध्यम से;
  - इंटरपोल से प्राप्त किसी रेड नोटिस के माध्यम से; या
  - आपसी संचार के अन्य स्थापित तरीकों के माध्यम से।

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के लिए ग्रीन चैनल पेमेंट (GCP) की स्थापना की गई है

- इसे **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण** (NHA) द्वारा स्थापित किया गया है।
- ग्रीन चैनल पेमेंट (GCP) का उद्देश्य AB PM-JAY के **लाभार्थियों का इलाज करने वाले पैनल में शामिल अस्पतालों को किए जाने वाले भुगतान के मामले में तीव्रता लाना है।**
  - इसके तहत, अच्छे रिकॉर्ड वाले अस्पतालों को इस चैनल के माध्यम से योजना के तहत किसी भी **उपचार के लिए हुए व्यय का 50% भाग तुरंत भुगतान किया जाएगा।**
  - वर्तमान में, पैनल में शामिल **अस्पताल को उसके दावे के स्वीकृत होने और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी** (SHA) द्वारा **भुगतान किए जाने के बाद भुगतान प्राप्त होता है।** यह अवधि गैर-पोर्टेबिलिटी दावों के लिए 15 दिन और पोर्टेबिलिटी दावों के लिए 30 दिनों की होती है।
- **ग्रीन चैनल पेमेंट (GCP) का महत्वः**
  - इसके चलते अस्पतालों को **समय पर और उचित भुगतान किया जा सकेगा,** जो AB PM-JAY योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।
  - यह AB PM-JAY के लाभार्थियों का इलाज करने में **अस्पतालों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।**
- **AB PM-JAY के बारे में:**
  - यह एक **बीमा योजना** है। इस योजना के तहत **द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल** के लिए लाभार्थियों को बीमा दिया गया है। इसके तहत, अस्पताल में भर्ती होने पर **प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपये** तक के स्वास्थ्य खर्च को उठाया जाता है। साथ ही, इसके तहत कैशलेस और पेपरलेस वार्षिक स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान किया जाता है।
  - **यह किसी सरकार द्वारा वित्त-पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।**
  - AB-PMJAY के तहत, सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC), 2011 के आधार पर लाभार्थी परिवारों की पहचान की जाती है।
  - इस योजना की शुरुआत **वर्ष 2018** में की गई थी। यह योजना **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** के एक संलग्न कार्यालय NHA द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
  - यह पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ओडिशा को छोड़कर **सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।**

अन्य सुर्खियाँ

भारत ने कोयला आयात में उल्लेखनीय कमी हासिल की है (India achieves significant reduction in coal import)

- कोयला मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2020 के अप्रैल से दिसंबर माह की तुलना में वर्ष 2021 के दौरान **नॉन-कोकिंग कोल के सभी ग्रेड के आयात में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है।**
- **नॉन-कोकिंग कोल** में केकिंग का कोई गुण नहीं होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए ताप-उत्पन्न करने वाले कोयले के रूप में किया जाता है।
  - इसमें **राख की मात्रा अधिक** होती है।
  - इसका उपयोग **सीमेंट, उर्वरक, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, रसायन और ईंट** निर्माण जैसे उद्योगों में किया जाता है।
- **कोकिंग कोयला** को धातुकर्म (Metallurgical) कोयला के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग **कोक बनाने के लिए किया जाता है, जो स्टील के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य इनपुट्स में से एक है।**

लैंड पूलिंग (Land pooling)

- सरकार ने कहा कि लैंड पूलिंग के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए **दिल्ली विकास अधिनियम, 1957** में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।
- **लैंड पूलिंग** को भूमि पुनर्समायोजन (land readjustment) या भूमि पुनर्गठन के रूप में भी जाना जाता है। यह **भूमि अधिग्रहण** से जुड़ी एक रणनीति है। इसके तहत निजी तौर पर धारित भूखंड के स्वामित्व अधिकार, एक नियुक्त एजेंसी को हस्तांतरित किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप इन भूमि खण्डों को पूल किया जाता है।
- भूमि के विकास के बाद, लैंड पूलिंग एजेंसी बुनियादी ढांचे की लागत वसूल करती है। लागत के कुछ हिस्से की कटौती करने के बाद एजेंसी भूमि का पुनर्वितरण करती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation: EPFO)

- EPFO ने वर्ष 2015 के वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुरूप, **दावा न किए गए धन में से 100 करोड़ रुपये, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव** पेश किया है।
- EPFO **एक सेवानिवृत्ति निधि निकाय है।** यह भारत में सभी वेतन भोगी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज** प्रदान करता है।
- **यह तीन योजनाओं का संचालन करता है** – कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952; पेंशन योजना, 1995; और बीमा योजना, 1976
- EPFO, **श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय** है।

इंटरनेट व स्मार्टफोन के बिना UPI भुगतानः UPI123pay {Unified Payments Interface (UPI) payments without Internet] Smartphone: UPI123pay}

- UPI123pay को RBI और **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम** (NPCI) द्वारा आरंभ किया गया है।
- यह सुविधा **फीचर फोन यानी साधारण फोन पर कार्य करेगी।** इसके तहत उपयोगकर्ता एक **तीन-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल लेन-देन कर सकते हैं।**
  - इसका उपयोग **इंटरनेट कनेक्शन के बिना** डिजिटल भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
  - उपयोगकर्ता कुछ **ऑफ़लाइन चरणों को फॉलो कर आसानी से** UPI **भुगतान** कर सकते हैं।
- यह डिजिटल नवाचारों में सहायता प्रदान करेगा। इससे देश में **डिजिटल पारितंत्र** तथा **वित्तीय समावेशन और अधिक मजबूत होगा।**
- इसके अतिरिक्त, RBI **ने डिजी साथी** (Digi Saathi) का भी शुभारंभ किया है। यह **डिजिटल भुगतान संबंधी सभी उत्पादों के संबंध में उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन** है।

यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय सेना (Ukraine International Legion)

- यूक्रेन में रूसी सेना से लड़ने के लिए दूसरे देशों के लोगों हेतु एक "अंतर्राष्ट्रीय सेना" की स्थापना की है। इस **अंतर्राष्ट्रीय सेना में देश भर से 500 से अधिक भारतीय स्वेच्छा से शामिल हुए हैं।**
- भारतीय घरेलू कानून यह स्पष्ट करता है कि ऐसा कृत्य IPC **यानी भारतीय दंड संहिता** (राज्य के विरुद्ध अपराध) **के अध्याय** VI **की धारा 121-130 के तहत दंडनीय अपराध है।**
- इन धाराओं के तहत **7 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने** का प्रावधान किया गया है। साथ ही, इसके तहत अभियुक्त की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है।
- जिस विदेशी सेना में भारतीय नागरिक शामिल होते हैं, और कोई शत्रुतापूर्ण कार्य करते हैं या वह सेना जब भारत विरोधी होती है तो इस कानून को लागू किया जाता है।

 वर्ष 2001 का अस्थायी सुरक्षा निर्देश {Temporary Protection Directive (TPD) of 2001}	❍ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के **शुरूआती 10 दिनों में 15** लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ❍ इस संकट के प्रत्युत्तर में, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने, **यूरोपीय संघ के परिषद के निर्देश,** यानी **अस्थायी सुरक्षा निर्देश** (TPD) को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। ❍ TPD के तहत यूरोपीय आयोग, **"अस्थायी सुरक्षा"** को एक असाधारण उपाय के रूप में वर्णित करता है। इसके तहत **गैर–यूरोपीय संघ के देशों से विस्थापित व्यक्तियों** और **अपने मूल देश में लौटने में असमर्थ व्यक्तियों को** तत्काल और अस्थायी सुरक्षा प्रदान की जाती है। ❍ यूरोपीय संघ ने **पहली बार यूक्रेन युद्ध के मामले में 'अस्थायी सुरक्षा निर्देश'** (TPD) लागू किया है।
 जाफरी (ट्रेलिस) प्रणाली (Trellis systems)	❍ ट्रेलिस या जाफरी प्रणालियों का उपयोग **कृषि में बेल वाली फसलों को सहारा देकर,** उनके फलों को जमीन से दूर रखने के लिए किया जाता है। **इसमें अर्ध–खड़ी किस्मों या जमीन पर क्षैतिज वृद्धि करने वाली किस्म, दोनों को सहारा दिया जाता है।** ➢ एक ट्रेलिस संरचना को **चार स्तंभों, बांस के खंभों और रस्सी का उपयोग करके तैयार किया जाता है।** ➢ इसके तहत **पौधे बांस और रस्सियों के सहारे लंबवत वृद्धि करते हैं।** ❍ **लाभ:** ➢ यह प्रणाली जलभराव की स्थिति में **फसल को नुकसान से बचाती** है। ➢ यह प्रणाली **पोषक तत्वों, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के उपयोग को बेहतर करती** है। ➢ इसके चलते वायु का उचित प्रवाह संभव हो पाता है, फलतः **कीटों और रोगों के नियंत्रण में भी सहायता** मिलती है। ➢ इस प्रणाली से खरपतवारों को हटाने, स्टेकिंग/प्रोपिंग, कीटनाशक छिड़काव और कटाई सुगम हो जाती है। इससे **कृषि की लागत कम हो जाती** है।
 बायोमास दहन (Biomass Burning)	❍ हाल ही में, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि **बायोमास दहन की घटना को कभी भी अपराध घोषित नहीं किया जाएगा।** ❍ **हरी और सूखी वनस्पतियां जलाने को बायोमास दहन कहते हैं।** ➢ इसमें मानव द्वारा भूमि की सफाई करने और भूमि के अन्य उपयोग के लिए वनस्पतियों को जलाना; और प्राकृतिक कारणों जैसे कि आकाशीय बिजली जनित आग से वनस्पतियों का जलना आदि भी शामिल हैं। ➢ इस प्रक्रिया के कारण **बड़ी मात्रा में ठोस कार्बन कण, ग्रीन हाउस गैस आदि वायुमंडल में पहुँच जाते हैं।** ❍ किसानों द्वारा बायोमास दहन को रोकने के लिए इनका वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। वैकल्पिक उपयोग में शामिल है: ➢ **ताप विद्युत संयंत्रों में को–फायरिंग में,** ➢ **एथेनॉल और बायोगैस संयंत्रों के लिए फीडस्टॉक के रूप में,** ➢ **ईंट भट्ठे में आग के लिए,** ➢ **पैकेजिंग सामग्री बनाने में, आदि।**

VISIONIAS

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी